


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश


राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(13)शिक्षा-2/2022 दिनांक: 08.09.2022 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 20.09.2022 द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में कुल 11 कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिसमें क्रम संख्या: 3 पर श्री इमरान बी. खान (RJDR201634029714), वरिष्ठ अध्यापक उर्दू, रा.उ.मा.वि. झाड़ोली, चुरु की रा. अ. बालक आ. वि. चुरु में प्रतिनियुक्ति की गयी थी।

निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक: एफ1(6)/असमावि/अल्प.आवा.विद्या./स्टॉफ भर्ती/2021/11161 दिनांक: 14.09.2022 के क्रम में श्री इमरान बी. खान (RJDR201634029714), वरिष्ठ अध्यापक उर्दू का वर्तमान पदस्थापन स्थान रा.उ.मा.वि. झाड़ोली, चुरु के स्थान पर रा.उ.मा.वि. झाड़ोली, तहसील पिन्डवाड़ा, जिला सिरोही संशोधित किया जाता है।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13408/अल्पसंख्यक मामलात/प्रतिनियुक्ति/2019/62 दिनांक: 25/11/2022
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), चुरु/पाली संभाग।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चुरु/सिरोही।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर